प्रेस नोट संख्या- 21
दिनांक 12.12.2024
सराहनीय कार्य थाना कमरौली जनपद अमेठी
धोखाधड़ी कर गेंहू बिक्री के कुल 3,32,500/- रुपयों के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार एवं घटना में प्रयुक्त ट्रक बरामद ।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 12.12.2024 को उ0नि0 अभिनेष कुमार थानाध्यक्ष कमरौली मय हमराही द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 172/24 धारा 316(2) बी0एन0एस0 से संबंधित 02 अभियुक्तों 1.पिन्टू पुत्र रामबाबू निवासी रंजीतपुर नौनारी थाना भदोखर जनपद रायबरेली उम्र 28 वर्ष व 2.दीपक पुत्र रामबाबू निवासी रंजीतपुर नौनारी थाना भदोखर जनपद रायबरेली उम्र करीब 25 वर्ष को श्री रामगंज चौराहे के पास हाइवे से समय करीब 10:30 बजे दिन में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त पिन्टू के कब्जे से 500/- रुपये व अभियुक्त दीपक के कब्जे से 2,000/- रुपये बरामद हुये। ट्रक सं0 UP 35 T 6876 के कागजात मांगने पर दिखा न सके।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त पिन्टू ने बताया कि यह ट्रक मेरा है। कुछ दिन पूर्व मैं अपने भाई दीपक उपरोक्त व मां वैष्णों ट्रांसपोर्टर शिवनाथ तिवारी पुत्र नवल किशोर तिवारी निवासी तिवारीपुर सेमरौता थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी के साथ मिलकर अपने ट्रक की आर0सी0 व नंबर प्लेट कूटरचित ढंग से बदलकर तथा एक ड्राइविंग लाइसेंस (व्हाट्सएप पर धोखाधड़ी से प्राप्त) में नाम बदलकर जाफरगंज मंडी से श्री राधेश्याम ट्रेडिंग कम्पनी मालिक विजय कुमार गुप्ता का 425 बोरी गेंहू अपने ट्रक में लादकर गया था, जिसे आसनसोल, असम राज्य में ले जाना था। जिसे लादकर हमलोग आसनसोल, असम राज्य न ले जाकर अपने घर लेकर चले गये एवं कुछ-कुछ क्विंटल करके हमलोगों नें गेंहू को बाजार में बेच दिया, जिससे कुल 6,60,000/- रुपये प्राप्त हुये। मैने ट्रक की बॉडी को दूसरे रंग व डिजाइन में पेन्ट करवा दिया ताकि ट्रक पहचान में न आ सके। ट्रान्सपोर्टर शिवनाथ तिवारी ने बिक्री से प्राप्त रुपये में से 1,00,000/- रुपये ले लिया था एवं खर्च होने के उपरान्त शेष बचे 3,30,000/- रुपये हमदोनों भाईयों के पास बचा है जोकि ट्रक के केबिन में रखा हुआ है। जामातलाशी से प्राप्त रुपये भी उसी गेंहू बिक्री के ही हैं। अभियुक्तों के कब्जे ट्रक के केबिन से कुल 3,32,500/- रुपये बरामद हुये। बरामदगी व गिरफ्तारी के उपरान्त अभियोग उपरोक्त में धारा 318(4), 336(2), 340(2), 338, 336(3) बी0एन0एस0 की बढोत्तरी कर थाना कमरौली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. पिन्टू पुत्र रामबाबू निवासी रंजीतपुर नौनारी थाना भधोखर जनपद रायबरेली उम्र 28 वर्ष।
2. दीपक पुत्र रामबाबू निवासी रंजीतपुर नौनारी थाना भधोखर जनपद रायबरेली उम्र करीब 25 वर्ष।

वांछित अभियुक्त का नाम व पता-

- शिवनाथ तिवारी पुत्र नवल किशोर तिवारी निवासी तिवारीपुर सेमरौता थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी।

बरामदगी-

- गेंहू बिक्री के कुल 3,32,500/- रुपये।
- घटना में प्रयुक्त 01 अदद ट्रक सं0 UP 35 T 6876। (धारा 207 एम0वी0 एक्ट)

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 172/24 धारा 316(2), 318(4), 336(2), 340(2), 338, 336(3) बी0एन0एस0 थाना कमरौली जनपद अमेठी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अभिनेष कुमार थानाध्यक्ष कमरौली जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 रामनाथ बौद्ध थाना कमरौली जनपद अमेठी।
3. हे0का0 सुरेश मिश्रा थाना कमरौली जनपद अमेठी।
4. हे0का0 अंकित दीक्षित थाना कमरौली जनपद अमेठी।
5. हे0का0 श्याम बहादुर यादव थाना कमरौली जनपद अमेठी।